


5-9
24

पत्रावली सेवा द्वारा कमील काही उद्योग
कमील काही को प्र निवाहीगणों की
सामिल सेवा कर रहे हैं, परन्तु यथादि आवश्यक
हिया जा सका है, लेकिन यथादि
अवसर हिया जा सके, बावजूद भी
आज हियांक तक सामिल की रसीद
सेवा प्रही की। अतः काही का काह
अगर होरहा उ नियम 5 के अन्तर्
आरिण किया जाना है। पत्रावली फलत
सुमार होकर बरकर ल कम होकर
हाथिल हूएर हो।



सुखण्ड अधिकारी, रांताशमगढ